न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 438/2016/डिक्री

1. रूपलाल पिता रोडा रावत मीणा
2. नारायणी पत्नि रूपलाल रावत मीणा
   दोनो निवासी राती तलाई बानसी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. गंगाबाई पिता तेजा पत्नि केशुराम मीणा
   निवासी रानी मालिया तहसील बडीसादडी
2. राज्य जरिये तहसीलदार बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी
दिनांक 04.08.2016 प्रकरण सं. 251/2013

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय दिनांक– 26.10.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा बानसी तहसील बडीसादडी की आराजी नम्बर 764 रकबा 18 बिस्वा आराजी नम्बर 765/1 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 766 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा कुल रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा स्थित है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया के भाई औकार पिता तेजा के खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है तथा औकार का उक्त आराजीयात से अपने पिता तेजा से प्राप्त हुई है। औकार के कोई जायन्दा संतान नही होने से तथा अपने जीवनकाल मे उक्त आराजीयात बाबत किसी को भी वसीयत निष्पादित नही की व औकार की पत्नि खेतडी का भी देहान्त हो गया तथा तेजा का एकमात्र वारिस औकार था जिसका देहान्त होने से औकार की बहिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया औकार की जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। इसलिये उनके पक्ष मे घोषणात्मक डिक्री फरमायी जावे। उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रतिवादीगण को तलब किया गया जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रतिवादी उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट

संख्या 2 वादिया के बयान लिये जाकर वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री कर दिया जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है।

2. यह कि विवादित आराजीयात मृतक खातेदार औकार पिता तेजा मीणा के खातेदारी मे दर्ज रिर्काड थी। औंकार पिता तेजा के कोई वारिसान नही होने से व औकार की बहिन प्यारी जिनकी मृत्यु हो चुकी है की पुत्री अपीलान्ट संख्या 2 है व अपीलान्ट संख्या 1 अपीलान्ट संख्या 2 का पति है दोनो ने मिलकर औकार के जीते जी औंकार की सेवा चाकरी की व औकार की मृत्यु होने पर औकार का अंतिम क्रियाकर्म भी अपीलान्टस द्वारा ही करवाया गया। स्वर्गीय औकार ने अपीलान्टस की सेवाओ से प्रसन्न होकर विवादित आराजीयात के सम्बन्ध मे अपने जीवनकाल मे अपीलान्ट संख्या 1 के पक्ष मे वसीयतनामा निष्पादित कर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, तभी से अपीलान्टस काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अपीलान्टस प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार मुकदमा था फिर भी अपीलान्टस को पक्षकार मुकदमा बनाये बगैर वादपत्र डिक्री कर दिया, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से अपीलान्टस के हित प्रभावित होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी अपीलान्टस को नही थी। पटवारी हल्का से दिनांक 17/11/16 को जानकारी प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 23/11/16 को प्राप्त हुई। अपील अन्दर मयाद पेश है। विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। इससे असंतुष्ट होकर अपीलान्टस ने यह अपील पेश की है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04/08/2016 निरस्त फरमायी जाने की डिक्री प्रदान की जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अपीलान्ट का नाम जमाबन्दी मे है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय मे उन्हे पार्टी नही बनाया गया जबकि सभी सहखातेदारान को आवश्यक रूप से पार्टी बनाये जाने का कानून मे प्रावधान है। इसके अलावा इसमे वसीयत वगैरह भी हुई है। यदि अधीनस्थ न्यायालय मे पार्टी बनाया जाता तो सारे तथ्य न्यायालय के समक्ष आते जिससे निर्णय करने मे आसानी रहती। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का फैसला विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किया जाकर अपील स्वीकार की जावे।

4. बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय मे सभी सहखातेदारान को पार्टी नही बनाया गया है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी द्वारा प्रकरण संख्या 251/2013 दिनांक 04/08/2016 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण मे विस्तृत सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़